न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
5/41	5.11.2020	31.12.2025

बउनवान

01. गीतादेवी पत्नी श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण हाल निवासी विवेकानन्द नगर सैक्टर नम्बर 4 अलवर राज०

अपीलान्ट

बनाम

01. दिनेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सताना तहसील व जिला अलवर राज० हाल निवासी एफ 128 आर के पुरम सैक्टर 1 के पास मौहम्मदपुर शिव मंदिर नई दिल्ली।
02. उमादेवी पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण हाल निवासी डीडी फ्लेट लाडो सराये फ्लेट नम्बर 86 डीडी फ्लेट लाडो सराय नई दिल्ली 30
03. मोहन कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण
04. सुमन शर्मा पत्नी मोहन कुमार जाति ब्राह्मण
05. गीतार्थ शर्मा पुत्र श्री मोहन कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम सताना तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
06. ग्राम पंचायत जमालपुर पंचायत समिति उमरैण हाल पंचायत समिति मालाखेडा जिला अलवर राज०

असल रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व विरासत इन्तकाल संख्या 517 दिनांक–05.10.2010 ग्राम पंचायत जमालपुर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

निर्णय

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व तहत अदालत ग्राम पंचायत जमालपुर निर्णय दिनांक 05.10.2010 नामान्तकरण संख्या 517 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2010 को मिन अपीलान्ट के पीछे से रेस्पाडेन्ट सं0 6 द्वारा पारित कर इंतकाल संख्या 517 स्वीकार फरमाया गया है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.03.2019 को हुई जब अपीलान्ट के कब्जे उपयोग व उपभोग में रेस्पाडेन्टान द्वारा मजाहमत की तथा मिन अपीलान्ट ने एतराज किया तो उन्होने उपरोक्त इंतकाल की जानकारी दी। आज्ञा दिनांक 05.10.2010 से जानकारी की तारीख दिनांक 12.03.2019 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाकर अपील अंदर नियाद पेश की जा रही है। अपीलान्ट के पति व रेस्पाडेन्ट सं0 1 लागायत 3 के पिता एवं रेस्पाडेन्ट सं0 4 के श्वसुर तथा तरतीबी रेस्पाडेन्ट सं0 5 के दादा श्री राधेश्याम पुत्र रामगोपाल ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम बिलन्दी की अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 13.03.2003 को अपीलान्ट के हक में तहरीर व तकमील की थी। अपीलाधीन आराजी से रेस्पाडेन्टान गैरवास्ता एवं गैरकाबिज है तथा मौके पर अपीलान्ट बहैसियत वसीयती काबिज है लेकिन कानूनन मौके की स्थिति देख कर व पूरी जांच करके आज्ञा पारित करनी चाहिए थी लेकिन रेस्पाडेन्टान से साजबाज होकर नाजायज

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

लाभ हेतु अपीलान्ट को बेजा नुकसान पहुँचाने की नियत से विधि विरूद्ध आज्ञा पारित की उपरोक्त वसीयत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी पूर्व से ही रेसपाडेन्टान को थी फिर भी बूझकर साजबाज होकर अपने नाम विवादित इन्तकाल दर्ज व स्वीकार कराया जो काबिल रेज है। इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व ग्राम पंचायत का कोई कौरम भी पूरा नहीं था तथा ना कोई इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कोई एतराजात लिये गये ना ही वारिसान की कोई जांच गई। विधि विरूद्ध उपरोक्त इंतकाल स्वीकार करने से हमारे हकूक जायल होते है। भविष्य मिथ्या मुकदमाबाजी बढने का अंदेशा है इसलिए इंतकाल निरस्त किया जाना आवश्यक है। ल अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत ालपुर पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर की आज्ञा दिनांक 05.10.2010 बाबत इंतकाल ख्या 517 वाके ग्राम बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर निरस्त फरमायी जावे। एवं रोक्त वसीयत के आधार पर मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेसपाडेन्ट के हक में उपरोक्त राजीयात का इंतकाल दर्ज व स्वीकार कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमायी जाये।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किये ये। रेस्पोडेन्ट सख्या–6 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा पोडेन्ट संख्या 1 को जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश न करने पर वाब बंद किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगायत 5 की ओर से जवाब पेश कर अपील ीकार करने का कथन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को ोहराते हुए इंतकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ारा–5 मियाद अधिनियम के तहत मुजरा किया जाकर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा विवादित इंतकाल संख्या 517 दिनांक–05.10.2010 का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा मियाद अवधि के बाहर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कन्डोन किया जाता है। तहत अदालत ग्राम पंचायत जमालपुर को इंतकाल संख्या 517 दिनांक 05.10.2010 को स्वीकार करने से पूर्व वसीयतनामा दिनांक–13.03.2003 की भलीभांति जांच करनी चाहीए थी।

अतः तहत अदालत ग्राम पंचायत पारित आलोच्य आदेश दिनांक–05.10.2010 इंतकाल संख्या–517, ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वसीयतनामा दिनांक–13.03.2003 की विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

संशोधित आदेश दि० 31/12/25

नोट:- निर्णय दि० 31/12/25 के पेज सं० 2 मे अंकित ग्राम बरखेडा के स्थान पर ग्राम जमालपुर पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)